रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032023-244624
CG-DL-E-23032023-244624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2023/चैत्र 2, 1945
No. 67] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2023/CHAITRA 2, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

(सं. 62/2015–2020)

विषयः गेहूं के आटे के निर्यात के लिए ङ–136 पर मानक निर्विष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) की शर्तों में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/157/एएम–22/पीसी–4.—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

1. सार्वजनिक सूचना सं. 38 दिनांक 25.11.2022 में यथा उल्लिखित सिओन ङ–136 के लिए, नोट 2 को निम्नानुसार जोड़ा जाता हैः

सिओन	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा
ङ.–136	गेहूं का आटा (आटा)	1.00 किलोग्राम	गेहूं	1.07 किलोग्राम

टिप्पणी 2: सिओन ङ–136 में, मदों, जैसे मल्टी ग्रेन आटा या फोर्टिफाइड साबुत गेहूं के आटे को भी नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन निर्यात किए जाने की अनुमति हैः

क. निर्यात की जाने वाली वस्तु में कम से कम 80% या अधिक साबुत गेहूं का आटा (आटा) होना चाहिए और उनमें शामिल की जाने वाली अन्य सामग्रियां जैसे सोया आटा, दलिया, मेथी पाउडर, विटामिन आदि को घरेलू रूप से प्राप्त किया जाएगा।

ख. ऐसी निर्यातित मदों यानी मल्टी ग्रेन आटा या फोर्टिफाइड साबुत गेहूं के आटे के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत गेहूं की आयात पात्रता, की गणना निर्यात वस्तु में साबुत गेहूं के आटे (आटा) के प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी, यानी प्रति 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे (आटा) के लिए, 1.07 किलोग्राम गेहूं के आयात की अनुमति होगी।

ग. शिपिंग बिल में निर्यात विवरण स्पष्ट रूप से साबुत गेहूं के आटे की प्रतिशत सामग्री और जोड़े जाने वाले अन्य अवयवों को इंगित करेगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

टिप्पणी 2: को सिओन ड.–136 में जोड़ा गया है ताकि मल्टी ग्रेन आटा या फोर्टिफाइड साबुत गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति दी जा सके। सार्वजनिक सूचना संख्यां 38/2015–20 दिनांक 25.11.2022 में यथा उल्लिखित सिओन ड.–136 के लिए अन्य सभी शर्तें प्रभावी बनी रहेंगी।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd March, 2023

(No. 62 /2015-2020)

Subject:- Amendment in conditions of the Standard Input Output Norms (SION) at E-136 for export of wheat flour-reg.

F. No. 01/94/180/157/AM22/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments:

1. For the SION E-136 as mentioned in Public Notice no. 38 dated 25.11.2022, note 2 is added as under:

SION	Export Item	Quantity	Import Item	Quantity
E-136	Wheat Flour (Atta)	1.00 Kg	Wheat	1.07 Kg

Note 2: In the SION E-136, items, i.e, Multi Grain Atta or Fortified Whole Wheat Atta are also allowed to be exported subject to the below mentioned conditions:

a. Exported item shall contain at least 80% or more of Whole Wheat Flour (Atta) and other ingredients being added like soya flour, oatmeal, fenugreek powder, vitamins, etc. will be domestically sourced.

b. Import entitlement of Wheat under the Advance Authorisation for such export items, i.e. Multi Grain Atta or Fortified Whole Wheat Atta will be calculated in proportion to the percentage of Whole Wheat Flour (Atta) in the export item, i.e. for every 1 Kg of Whole Wheat Flour (Atta), import of 1.07 Kg of Wheat will be allowed.

c. The export description in the shipping bill will clearly indicate the percentage content of Whole Wheat Flour and other ingredients being added.

Effect of this Public Notice:

Note 2: is added in the SION E-136 to allow export of Multi Grain Atta or Fortified Whole Wheat Atta. All other conditions for SION E-136 as mentioned in Public Notice no. 38/2015-20 dated 25.11.2022 will continue to be in force.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA